# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

**बी0 ए0 संख्या–21 / 2020**

1. राकेश सिंह
2. राहुल कुमार
3. सोनू तिवारी उर्फ सोनू तिवारी .... .... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... .... विपक्षी पक्ष

**कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्त्तागण के लिएः श्री शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए0पी0पी0।

04 / 22.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्तागण डाल्टनगंज शहर थाना काण्ड संख्या–360 / 2019 के संबंध में अभियुक्त हैं।

मोटरसाईकिल लगाने के संबंध में विवाद था। यह आरोप लगाया गया है कि शीतल सिंह एवं अंकु सिंह 15 मिनट के पश्चात् आये और सूचक के मित्रों पर गोली चलाये। यद्यपि ऐसे गोली चलाने से किसी को चोट नहीं लगी।

याचिकाकर्त्ताओं का नाम एफ0आई0आर0 में नहीं है और उन्हें शीतल सिंह के कबूलनामे पर फंसाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समझौता दोनों

पक्षों के बीच हुआ है। याचिकाकर्त्ताओं के पास से कुछ गोली बरामद हुई एवं याचिकाकर्त्ता संख्या–1 के पास से भुजाली बरामद हुआ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, याचिकाकर्त्ता दिनांक 19.11.2019 से हिरासत में है तथा 10,00/– (केवल दस हजार) के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, डाल्टनगंज की संतुष्टि पर, डाल्टनगंज शहर थाना काण्ड संख्या–360/2019 के संबंध में छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)